



“भारत में निरन्तर बढ़ते गैर निष्पादित संपत्ति का बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव एक अध्ययन”

श्रीमती मंजु अग्रवाल

सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
राजकीय महाविद्यालय मरगूबपुर
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

ABSTRACT (सारांश)

देश की आजादी के उपरान्त वर्ष 1949 में आर.बी.आई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय अधिकांश बैंक निजी क्षेत्रों में खुले हुए थे। 20 जुलाई 1969 को जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो उसमें पी.एन.बी., एस.बी.आई., सैन्ट्रल बैंक, यूनियन बैंक प्रमुख थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत की सारी पूँजी उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के पास थी। वहीं अब पूँजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों के पास आ गई। बैंकों को अधिकार दे दिये गये किये उचित जांच के उपरान्त जरूरतमंद लोगों को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन कर निश्चित दर पर ऋण दें, परन्तु वर्तमान समय में यह ऋण बैंक वसूल नहीं कर पा रहे हैं और बैंकों का यह पैसा गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में सामने आ गया है। यह समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की अपेक्षा सरकारी बैंक इस समस्या का सामना अधिक कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी में उत्पन्न आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप बैंकों का एन.पी.ए 20 वर्षों में सबसे ज्यादा हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक मंदी एवं रोजगारों की संख्या घटेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं। जिसमें बैंकों की आर्थिक मदद, बैंकों का विलयीकरण, बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाना प्रमुख है।

परिचय :-

भारत में रिजर्व बैंक स्थापना 1935 में की गई थी। देश की आजादी के उपरान्त वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तथा अन्य देशों के बैंकों की तरह रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंकिंग निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। उस समय पी.एन.बी. व एस.बी.आई जैसे

और बैंक निजी क्षेत्रों में खुले हुए थे। 20 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसमें एस.बी.आई. व पी.एन.बी. प्रमुख थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले सारे भारत की पूंजी उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के पास थी जो अब बैंकों के पास चली गई थी। इस प्रकार 1969 के पश्चात सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंक अस्तित्व में आ गये, जिनका प्रमुख कार्य लोगों का धन उनके खातों में जमा करना था व आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण के रूप में उपलब्ध कराना था। बैंक किसी भी क्षेत्र में बांटे गये ऋण पर ब्याज वसूल करता है। अतः बैंक द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी वसूली की उम्मीद नहीं के बराबर हो उसे नॉन परफार्मिंग रिसेट (गैर निष्पादित संपत्ति) या एन.पी.ए कहते हैं। यह समस्या इतनी गंभीर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप बैंकों का एन.पी.ए 20 वर्षों में सबसे अधिक हो सकता है। आर.बी.आई के अनुसार मार्च 2020 में एन.पी.ए. 8.5 प्रतिशत तक हो गया था। मार्च 2021 तक 12.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

बैंकिंग प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में बैंकों का एन.पी.ए बहुत अधिक हो गया है। और उसके वापिस होने की उम्मीद बहुत कम है। जून 2018 में समाप्त हुई तिमाही में देश के बैंकों का करीब आठ लाख तीस हजार करोड़ रुपया डूबा हुआ था। अर्थात् बैंकों का दस प्रतिशत से ज्यादा कर्ज एन.पी.ए. है। अमेरिका और चीन में यह अनुपात दो प्रतिशत से कम है। अतः बैंकों से लिए गये लोन को अगर नहीं चुकाया जाता है तो बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहकों एवं बैंक के मध्य पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता है। कोई भी लोन खाता निकट भविष्य में एन.पी.ए. बन सकता है। इसके लिए आर.बी.आई ने कुछ नियम बनाये हैं। इनके तहत बैंकों को उनके लोन खातों को स्पेशल मनी एकाउंट (एन.एम.ए)के रूप में चिन्हित करना होता है। अगर किसी लोन खाते में मूलधन या ब्याज की किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि से तीस दिन तक नहीं होता तो उसे

एस.एम.ए-0 कहा जाता है। भुगतान 31 से 60 दिन तक नहीं हुआ है तो उसे एस.एम.ए कहा जाता है। अगर मूलधन या ब्याज का भुगतान 61 से 90 दिन तक न हो तो उसे एस.एम.ए-2 कहा जाता है।

इसके बाद रिजर्व बैंक ने 500 ऐसे खातों की पहचान की है जिनके ऊपर भारी कर्ज है और वे उसे चुका नहीं रहे हैं। अतः एन.पी.ए. में बढ़ोत्तरी से अन्य उधारदाताओं के लिए धन की कमी हो जाती है। साथ ही भारतीय पूंजी बाजार प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त एन.पी.ए में वृद्धि घरेलू बाजार और वैश्विक स्तर के बाजारों को प्रभावित करती है। उस स्थिति में बैंक की लाभप्रदता कम हो जाती है जिससे बैंकों की छवि खराब हो जाती है।

कठिन शब्दों की व्याख्या :- एन.पी.ए – कर्ज के रूप में बैंक द्वारा दिया गया वह पैसा जो डूब गया है। अर्थात् अब उसके बैंक को पुनः प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। यह चार प्रकार का होता है। 1. सब स्टैंडर्ड संपत्तियां 2. संदिग्ध संपत्तियां 3. हानि वाली संपत्तियां 4. स्टैंडर्ड संपत्तियां ।

बैंकिंग प्रणाली :- बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसका प्राथमिक कार्य उसके खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना और ऋण देना है। इनके जमा और ऋण काफी विभेदीकृत प्रकृति के होते हैं। सभी बैंक एक निश्चित प्रक्रिया के उपरान्त ऋण देते हैं व पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उस ऋण की वसूली करते हैं। बैंकों की विनिमयन प्रणाली का निर्धारण आर.बी.आई. करता है।

अध्ययन की आवश्यकता:- पिछले पांच वर्षों में भारत का बैंकिंग क्षेत्र मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बैंकों के एन.पी.ए में भारी वृद्धि हो रही है। आज बैंकों का दिये हुए कर्ज का 11 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा एन.पी.ए. बन चुका है। हाल के एन.पी.ए संकट के साथ निवेश वृद्धि दर में तेज गिरावट और भयानक आर्थिक मंदी बाजार में आ गई है। आर्थिक मंदी के

परिणामस्वरूप रोजगार के साधन कम हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां व कम्पनियां बंद हो रही हैं। भारत में बैंकों द्वारा दिये गये कुल कर्ज में से 70 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की है। हाल के बैंकिंग संकट के दौरान सरकारी स्वामित्व वाले बैंक निजी और विदेशी बैंकों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित हुए और कुल एन.पी.ए का 90 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं बैंकों के खातों में था। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को इन डूबे हुए कर्जों के लिए प्रावधान करना पड़ा जिससे इसकी पूंजी उपलब्धता में कमी आई है। कुछ बैंक दिवालिया तक हो गये हैं। वहीं सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को बचाने के लिए सरकार को पूंजी देनी पड़ी। वर्ष 2008-09 के बाद से सरकार ने कुल 3 ट्रिलियन रुपये (42 बिलियन अमेरिकी डालर) की पूंजी लगाई है। यह आंकड़ा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के बराबर है। भारत जैसे देश में जहाँ जनता आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, व्यवसाय बंद होने, प्राइवेट नौकरी छिनने जैसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। वहीं सरकारी बैंकों का बढ़ता एन.पी.ए दीर्घावधि के ऋण को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में आर्थिक मंदी एवं कम होते रोजगार इसी समस्या की देन है जिसका अध्ययन किया जाना परमावश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्यः— प्रस्तुत पेपर का मुख्य उद्देश्य बैंकों में बढ़ते हुए एन.पी.ए. का पता लगाना एवं बैंकिंग प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है।

भारत के बैंकों में एन.पी.ए के बढ़ने के कारणः—

1. परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के कारण ब्याज तथा मूलधन की किश्त भुगतान में कठिनाई।
2. ब्याज दरों में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण अक्सर उपभोक्ताओं को बैंक की किश्त भरने में देरी होती है।

3. सार्वजनिक बैंकों द्वारा एन.पी.ए की गणना के संबंध में विदेशों में पहले से चली आ रही विधि के स्थान पर सिस्टम आधारित पद्धति अपनाने के कारण एन.पी.ए में वृद्धि हुई है।
4. बाजार में छाई अनिश्चितता के कारण जिन लोगों ने ऋण लिए हैं उनके द्वारा ऋण नहीं चुका पाना।
5. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जान-बूझकर भारी संख्या में लोगों के ऋण माफ करवाना।
6. फर्जी जानकारी व बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से जान-बूझकर ऋण नहीं चुकाना।
7. जिस विशेष उद्देश्य के लिए उधार लिया गया है। उस काम के लिए उस धन का उपयोग नहीं करना।
8. साल 2008 में बड़ी भारतीय कम्पनियां मंदी का शिकार हो गईं। मंदी के दौर से बाहर आने के लिए बैंकों ने बड़ी कम्पनियों को उनकी आर्थिक स्थिति व क्रेडिट रेटिंग को अनदेखा कर लोन दे दिये, जिससे बैंकिंग प्रणाली एन.पी.ए के जाल में फंस गई।

बैंकों पर एन.पी.ए का प्रभाव:-

तरलता की स्थिति:- यदि बैंक कम पूँजी का मूल्यांकन करता है तो भविष्य की व्यवसायिक चिंता बैंकों की स्थिति को प्रभावित करती है। और बैंकिंग संपत्ति (जमा धनराशि) और देयता के बीच अंतर पैदा करती है। और वे बैंक को उच्च दर पर संसाधन जुटाने के लिए मजबूर करते हैं तो बैंकों की लाभप्रदता पर असर पड़ता है। अगर वे उधारकर्ता से राशि वसूल नहीं कर पाये तो मुनाफे का स्तर नीचे आ जाएगा।

बैंक की छवि को कमजोर करना:— बढ़ता हुआ एन.पी.ए. घरेलू और वैश्विक स्तर के बाजारों में बैंक की छवि को प्रभावित करती है। उस स्थिति में बैंक की लाभप्रदता कम हो जाती है।

फंडिंग पर प्रभाव:— गैर निष्पादित आस्तियों में वृद्धि घरेलू बाजारों और वैश्विक स्तर के बाजारों को प्रभावित करती है। उस स्थिति में बैंक की लाभप्रदता कम हो जाती है। इससे बैंकों की छवि खराब हो जाती है।

बैंकों के पास फंड की कमी:— एन.पी.ए में वृद्धि से अन्य उधारदाताओं के लिए धन की कमी होती है। साथ ही भारतीय पूंजी बाजार प्रभावित होता है और फिर कुछ ही बैंकिंग संस्थान ऐसे होंगे जो पैसा उधार दे सकेंगे।

पूँजी की उच्च लागत:— जैसे-जैसे बैंकों में एन.पी.ए बढ़ेगा बैंकों की व्यक्तिगत पूँजी की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि बैंकों को अब सुचारु संचालन के लिए अधिक धनराशि रखनी होगी ।

भारी जोखिम :— गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बैंक के लिए कम लाभप्रदता वाली होती है। इन परिसंपत्तियों के निष्पादन में बैंक उच्च जोखिम उठाकर व्यापार करते हैं और इस तरह यह बैंकों के हितों के खिलाफ कार्य होता है। जो बैंकों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। यह बैंकों की आगे जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित करता है।

बैंकों की लाभप्रदता:— बैंक कम मुनाफा कमाता है तो उसकी जमा पूँजी व ऋण के मध्य का अनुपात बिगड़ जाता है और कम पूँजी का अनुपात संपत्ति के आगे निर्माण को सीमित करता है। इस प्रकार बैंकों को अपने विकास विस्तार और योजनाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बढ़ता हुआ एन.पी.ए शुद्ध ब्याज को कम करता है, क्योंकि वे इन खातों पर ब्याज नहीं लेते हैं।

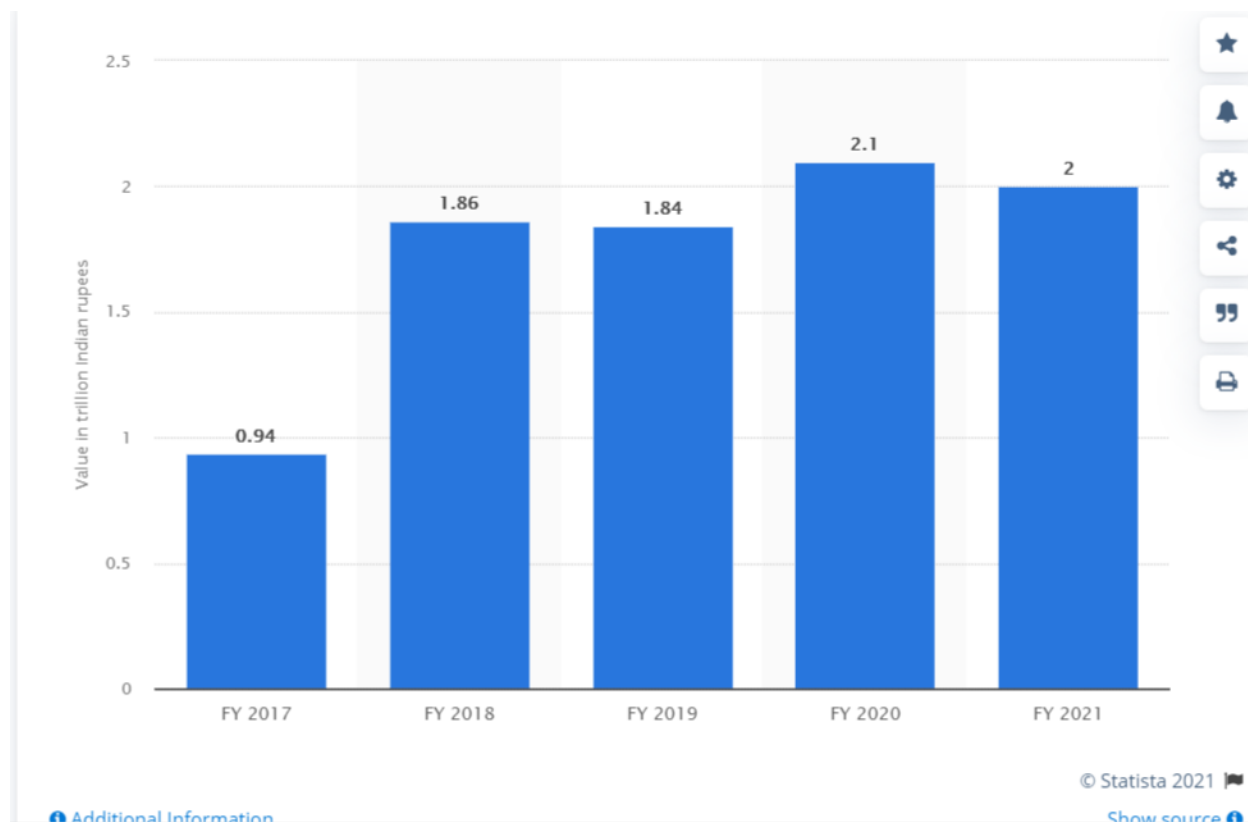
एन.पी.ए एवं आर.बी.आई:— अधिकांश बैंक ऋण वितरण का कार्य कुछ विशिष्ट कर्मचारियों को (Loan sanction department) ऋण वितरण विभाग बनाकर हस्तगत कर देते हैं। ये कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर बैंक को गलत जानकारी व फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाकर ऋण आवंटन करवा देते हैं। परिणामस्वरूप दीर्घावधि परियोजनाओं व बड़े ऋण वाले एन.पी.ए जब बैंकों में एकत्र होते हैं तो रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों में एन.पी.ए का जो संकट खड़ा हुआ है। उसमें दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए कर्ज देते समय उनकी जांच-परख में खामियां उजागर हुई हैं। इस तरह की परियोजनाओं में बैंकों के समूह ने ऋण देने की मंजूरी पेशेवर मर्चेन्ट बैंकरों से सलाह-मशवरा करके दी है और इसमें पहले ही हितों का टकराव शामिल है क्योंकि आंकलन करने वाले बैंक आर्ब्वर को ऋण लेने वाले पहले से भारी भुगतान कर देते हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के विचार:— रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराज राजन ने सभी बैंकों को साफतौर पर कहा है कि वे मार्च 2017 तक अपनी बैलेंसशीट की हालत दुरुस्त कर लें। राजन के मुताबिक बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ की जगह एन.पी.ए कम करने पर ध्यान देना चाहिए। राजन का मानना है कि बैंक बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के बाद ही क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि एन.पी.ए पर काबू पाने के बाद बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेने में समर्थ हो सकते हैं।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में एन.पी.ए की वर्तमान स्थिति:—

Gross Non Performing Assets Private Bank Across India between Financial Year 2017-2021

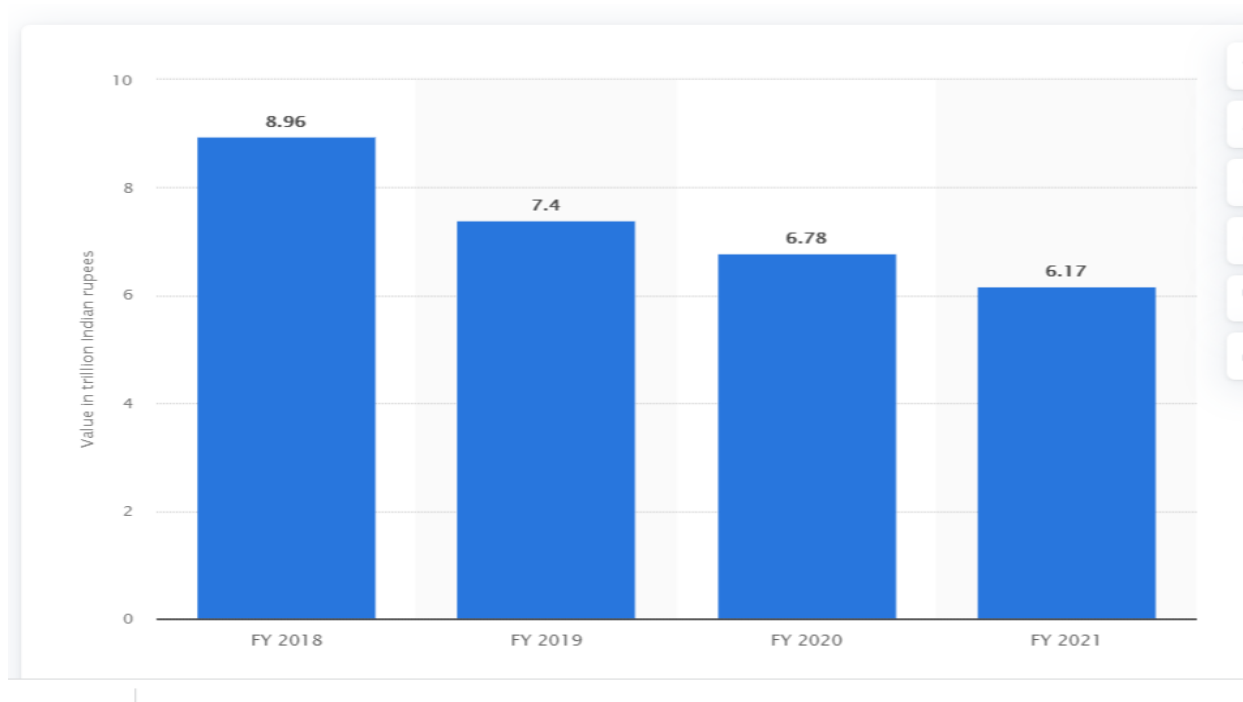
(In Trillion Indian Rupees)



वर्ष 2017 में निजी क्षेत्र के बैंकों का सकल एन.पी.ए 0.94 ट्रिलियन रुपये था। वर्ष 2018 में निजी क्षेत्र के बैंकों के एन.पी.ए. में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन रुपये हो गया। वर्ष 2019 में निजी बैंकों का एन.पी.ए लगभग स्थिर रहा। इस वर्ष एन.पी.ए 1.84 ट्रिलियन रुपये था। वर्ष 2020 में निजी बैंकों के एन.पी.ए में फिर वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़कर 2.1 ट्रिलियन रुपये हो गया। वर्ष 2020–21 में निजी बैंकों का एन.पी.ए दो ट्रिलियन रुपये रहा।

Gross Non Performing Assets Value of Public Sector Banks in from Financial Year 2018-2021

(In Trillion Indian Rupees)



वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एन.पी.ए में गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एन.पी.ए 8.96 ट्रिलियन रुपये था। यह एन.पी.ए 2019 में घटकर 7.4 ट्रिलियन रुपये हो गया। वर्ष 2020 में सरकार द्वारा उठाये गये उपचारात्मक कदमों से एन.पी.ए में मामूली कमी दर्ज की गई। यह घटकर 6.78 ट्रिलियन रुपये हो गया। वर्ष 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एन.पी.ए 6.17 ट्रिलियन रुपये हो गया।

एन.पी.ए के प्रकार :- अक्टूबर 2009 से रिजर्व बैंक ने एन.पी.ए. के संबंध में पूरक व्यवस्था के रूप ग्रेडेड प्रोविजनिंग प्रणाली की व्यवस्था शुरू की है जिसके अनुसार एन.पी.ए को चार भागों में बाँटा गया है।

स्टैंडर्ड संपत्तियां :- इसके अन्तर्गत उन सम्पत्तियों को रखा जा सकता है जिनसे बैंक को नियमित आय होती है। ऐसी सम्पत्तियां तब तक एन.पी.ए नहीं बन पाती, जब तक उपभोक्ता ऋण का भुगतान करता रहता है।

सब-स्टैंडर्ड सम्पत्तियां:- इसके अन्तर्गत उन सम्पत्तियों को रखा जाता है जो कम से कम पिछले 18 माह तक एन.पी.ए रही हो, इसके अन्तर्गत गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य उधार दी गई राशि से कम हो जाता है।

संदिग्ध सम्पत्तियां :- इस वर्ग में उन सम्पत्तियों को रखा जाता है जो 18 महीने से अधिक एन.पी.ए रही हो। इस ऋण में वे सभी कमजोरियों होती है, जोकि सबस्टैंडर्ड सम्पत्तियों में होती हैं।

हानि वाली सम्पत्तियां :- ऐसी सम्पत्तियां जिनसे बैंक को कोई आय नहीं होती है। वे सम्पत्तियां जिनकी पहचान बैंक के आन्तरिक एवं बाह्य पर्यवेक्षक ने हानि वाली सम्पत्तियों के रूप में गिन दिया हो।

उपसंहार:- बैंक जब ऋण देते हैं तो उसकी वसूली किस प्रकार हो सकेगी, इसका पर्याप्त ध्यान रखते हैं, लेकिन आज बैंक एन.पी.ए में वृद्धि की समस्या का सामना कर रहे हैं। देश के 38 सूचीबद्ध कर्मिणियल बैंकों का एन.पी.ए 8.41 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। इनमें से 90 प्रतिशत सरकारी बैंकों में एन.पी.ए बकाया है जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था का 70 प्रतिशत सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैंकों के एन.पी.ए से निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। (2003-2008) में औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी क्षमता बहुत बढ़ा ली थी, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट, आर्थिक मंदी, कोरोना काल के कारण उद्योग बैंकों से लिए गये कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहे। सरकारी बैंकों ने सबसे ज्यादा कर्म पाँच औद्योगिक सैक्टर को दिये हैं। इसमें टैक्सटाईल, एविएशन, माईनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीमेंट शामिल हैं। सबसे

अधिक एन.पी.ए भी इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ा है। विधि विशेषज्ञ तथा आमजनता यह दावा करते हैं कि कृषि जैसे क्षेत्र को दिये गये ज्यादातर कर्ज एन.पी.ए में बदल जाते हैं। यह सच्चाई नहीं है। बैंकों में बढ़ते हुए एन.पी.ए में सबसे बड़ा योगदान उद्योगजगत और बड़ी कम्पनियों का है। सरकारी बैंकों का बढ़ता हुआ एन.पी.ए दीर्घावधि के ऋण को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव कम होते रोजगार, डूबते हुए बैंक, बंद होती व दिवालिया होते बैंकों के रूप में देखा जा सकता है। एन.पी.ए के स्तर को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक अपनी बैलेंसशीट को संतुलित करने के बाद ही ऋण देने की रफ्तार बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं।

सुझाव :- एन.पी.ए की समस्या के समाधान हेतु निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है।

उपयुक्त मानवीय सहायता:- सामान्यतः बैंकों के पास एन.पी.ए के प्रबंधन के लिए कुशल अधिकारियों का अभाव है। अधिकांश बैंकों में स्टाफ की कमी होने के कारण निजि व्यवस्था पर अकुशल व्यक्तियों की अस्थाई नियुक्ति की जाती है।

अतः यह आवश्यक है कि बैंकों में एन.पी.ए की समस्या के समाधान हेतु नये, कुशल एवं स्थाई स्टाफ भर्ती किये जाये।

जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन:- सामान्यतः ऋण लेने वाला व्यक्ति बैंक से ऋण लेकर भूल जाता है व भुगतान में आनाकानी करने लगता है क्योंकि उसे बैंकिंग नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता है। बैंक कर्मचारी व अधिकारी इस विषय में अधिक जानकारी उपभोक्ता को नहीं देते हैं। अतः ऋण देते समय बैंक कर्मचारी व अधिकारी यदि ऋण लेने वाले को उचित मार्गदर्शन करे व गारन्टर को समझाये तो एन.पी.ए की समस्या कम हो सकती है।

बैड बैंक :- ऐसा बैंक जो मौजूदा बैंकों के अनुपयुक्त कर्ज (जिसे गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं) खरीदने के लिए विशेषतौर पर बनाया गया बैंक होता है। ऐसे बैंक 20वीं सदी में यू.एस. ए. में स्थापित किये गये थे। भारत में यह समाचारों में तब आया जब आर्थिक समीक्षा 2016-17 में भारत सरकार को इस तरह की संस्था सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनरुद्धार (PARA) गठित करने का सुझाव दिया, जिससे दोहरी बैलेंसशीट की समस्या का समाधान किया जा सके।

एकमुश्त समाधान :- पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ (एन.पी. ए) की मात्रा को कम करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा कर रही है, जो भी ऋणी किसान या लघु उद्यमी हो और वे व्यवसाय में असफलता की वजह से ऋण चुकाने में असमर्थ हों, ऐसे एन.पी.ए के एकमुश्त समाधान के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक निश्चित समयावधि योजना का शुभारम्भ किया है।

इन्द्र धनुष योजना:- देश के सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में एक सात सूत्रीय इन्द्र धनुष योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, एन.पी.ए में कमी करना और बैंकों का प्रदर्शन सुधारना रहा। इस योजना के अर्न्तगत पुनः पूंजीकरण के उपाय किये गये।

SAP FAESI अधिनियम:- इस अधिनियम का उद्देश्य जानबूझकर ऋण भुगतान न करने वालों पर नियंत्रण लगाना है। यह अधिनियम बैंकों को अधिकार प्रदान करता है कि भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गिरवी रखी प्रतिभूति को जब्त कर ले या उस संपत्ति को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दें।

असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी :- ये ऐसी कंपनी होती है जो कि एन.पी. को बैंकों से खरीद (एन.पी.ए) की कुल राशि से कम दाम पर लेती हैं और फिर इस एन.पी.ए को उस व्यक्ति से वसूल करने की डील करती है जिसके नाम पर उधार होता है।

सरकार के द्वारा उठाये गये कदम:-

1. केन्द्र सरकार सरकारी बैंकों को तीन वर्षों में 70 हजार करोड़ की पूँजी उपलब्ध करा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर और पूँजी दी जायेगी।
2. जानबूझकर कर्ज वापसी न करने वाले कर्जदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ न हों।
3. किसानों की मदद के लिए उनके कर्जों को पुर्नगठित किया गया है और काफी किसानों के कर्जमाफ किये गये हैं।
4. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा जानबूझकर कर्ज न चुकाने का खामियाजा अन्य उद्योगपतियों का नहीं उठाना पड़े।
5. बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों सहित प्रबंधन की नियुक्ति में पारदर्शिता और पेशेवरपन लाया गया है। बिना किसी तरह के हस्तक्षेप के व्यवसायिक निर्णय लेने के लिये सरकार ने बैंक प्रबंधन पेशेवरों को पूरी स्वायत्ता देने के उपाय किये हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/high-bad-loans-due-to-poor-credit-appraisal-skills-of-loans-rbi/articleshow/48974290>
2. <https://inforgram.com/bank-gross-inpasth8j4x73gkxp6mv>.
3. “Trends and progress of banking in India”, RBI Annual Published Report 2015.

4. The Indian Express Article on December 18, 2013.
5. Beck at.all (1999), “Finance and the Source of Growth”, World Bank Policy Resource Working Paper No. 2057
6. प्रतियोगिता दर्पण / जनवरी / 2019 / 84
सिंह, रमेश “भारतीय अर्थव्यवस्था”, Mc Graw Hill Education Publication, Xth Edition.
7. <https://m.economictimes.com>wealth>how18may/2018>.
8. <https://economictimes.indiatimes.com>articles3july2020>.
9. <https://www.statista.com>statistics>.